न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्याः– 12 / 35 / 2021

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री भागीरथ यादव पुत्र शुभराम यादव ग्रा0पो0 कारोडा तहसील बहरोड अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––::निर्णय::–– दिनांकः– 26–04–2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30–12–2020 के माध्यम आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 08.03.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 699 दिनांक 19.03.21 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 30–12–20 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक 204 दिनांक 18.01.2021 के माध्यम से प्राप्त होने पर पत्रांक लो0सू0अ0 / विविध / 2021 / 187 दिनांक 21.01.21 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रथम अपील की अनुपालना में प्रार्थी को पुनः पत्रांक 700 दिनांक 19.03.21 से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 26.04.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर